राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सन्तरा देवी बनाम नत्थु सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/02/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता बाबूलाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि गांव पांछूडाला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 605/0.56 है. जो साबिक खसरा नम्बर 529 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा से बने है के खातेदार काश्तकार वादी के दादा भवरसिंह पुत्र कानसिंह थे जिनकी मृत्यू के बाद उक्त आराजी वादी के पिता औंकार सिंह पुत्र भंवर सिंह बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हुए औंकार सिंह की फौतगी के बाद वारिसान उनके लडके वादी उपरोक्त आराजी मुतदाविया पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। वादी की उपरोक्त आराजी से प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 एवं उनके बुजुर्गान का किसी प्रकार से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है परंतु प्रतिवादीगण सख्या 01 के पति व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 के पिता का नाम औंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह होने के कारण वादी की उपरोक्त आराजी मुतदाविया की भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की खातेदारी भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 1085/0.75, 1094/0.11, 1095/0.13 वाकै मोजा पाछूडाला की भूमि के खाते के साथ संलग्न कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पति व 02 लगायत 06 के पिता औकारसिंह की मृत्यू के उपरांत उनका विरासत इंतकाल उसकी स्वयं की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1085/0.75, 1094/0.11, 1095/0.13 वाकै ग्राम पाछूडाला के साथ साथ वादी व उनके बुजुर्गान की खातेदारी की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 605/0.56 ग्राम पाछूडाला तहसील कोटपूतली में दर्ज कर दिया। वादी को राजस्व विभाग द्वारा की गई उक्त गलती की जानकारी गत माह प्रशासन गावों के संग अभियान के दौरान अपनी स्वयं की खातेदारी की भूमि में अपने पुत्र औकारसिंह पुत्र भंवरसिंह (पुत्र कानसिंह) का विरासत इंतकाल हेतु पटवारी हल्का के समक्ष आवेदन करने पर हुई। वादी ने अनेकों बार प्रतिवादीगण को उक्त आराजी मुतदाविया की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने हेतु कहा परंतु पहले तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे अब साफ इंकार हो गये है इसलिए वादी को हक हो गया कि वह जरिए अदालत आराजी हाल खसरा नम्बर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सन्तरा देवी बनाम नत्थु सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	612/2019	

605/0.56 वाकै ग्राम पाछूडाला तहसील कोटपूतली की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 का नाम हटाया जाकर वादी को तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं उसी अनुसार वादी का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण वादी की उपरोक्त आराजी में गलत इंद्राजात का नाजायज फायदा उठाने हुए वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने व आराजी मुतदाविया को दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा हो रहे है वादी ने अनेक बार समझाया परंतु वे अपनी हरकातों से बाज नहीं आ रहे है इसलिए वादी को हक हो गया कि वह आराजी हाल खसरा नम्बर 605/0.56 वाकै मोजा पाछूडाला को दीगर लोगों को रहन बेचान नहीं करे, आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे, मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या संख्या 1 लगायत 4 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाद तामील अनुपस्थित होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2019 पारित करते हुये वादीगण अपने वाद के तथ्यों को अपने पक्ष में सिद्ध करवाने में असफल होना धारित करते हुये वादीगण का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया| जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहे |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | विचाराधीन वाद घोषणा खातेदारी हेतु प्रस्तुत किया गया एवं विधि के प्रावधानों के अनुसरण में घोषणा के वाद को निस्तारित करने हेतु साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये घोषणा के वाद को ख़ारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत जाहिर नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2019 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विचाराधीन घोषणा के वाद को तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत विवेचन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सन्तरा देवी बनाम नत्थु सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में ज़ारी हुए
	612/2019	

करते हुये निर्णय पारित कर निस्तारित करे | तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर